

उनकी प्रतिरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) श्रे (ग). भारत संघ में ये द्वीप शामिल है : (1) अन्दमान और निकोबार समूह में द्वीप (2) लक्कादीव, मिनी-काय अभिनदिवी समूह में द्वीप तथा (3) बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तट और बाहरी द्वीप। अधिकतर बड़े बड़े और आबाद नहीं द्वीप प्रथम समूह में आते हैं। दूसरे द्वीप छोटे हैं और या तो आबाद नहीं हैं या कम आबादी वाले हैं। भारत के कब्जे में द्वीपों की सुरक्षा पुलिस, नौसेना तथा हवाई गश्त द्वारा ज़ेसा भी ज़रूरी हो, की जाती है।

सरकारी होटलों में गोमांस का प्रयोग

9006. श्री जि० ब० सिंह :

श्री श्रीकार सिंह :

श्री शारदानन्द :

श्री बंश नारायण सिंह :

श्री श्रीगोपाल साबू :

श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी होटल में गो मांस परोसा जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकारी होटलों में डिब्बों में बंद अथवा अन्य प्रकार से गो-मांस के प्रयोग पर सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं, भारत सरकार के अधीन होटलों में नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा दिल्ली नगर निगम को भंग करने का सुझाव

9007. श्री श्रीकार सिंह :

श्री शारदानन्द :

श्री बंश नारायण सिंह :

श्री श्रीगोपाल साबू :

श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने जनवरी, 1968 से अब तक अनेक बार दिल्ली नगर निगम को भंग करने की सरकार से सिफारिश की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने कितनी बार यह सिफारिश की और इसके समर्थन में उन्होंने क्या कारण बताये ;

(ग) क्या यह सच है कि उपराज्यपाल ने यह सिफारिश करने से पहले दिल्ली की कार्यकारी परिषद् से परामर्श नहीं किया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). दिल्ली के उप-राज्यपाल ने अपने दो पत्रों में ऐसा विचार व्यक्त किया है कि दिल्ली नगर निगम की कार्य-प्रणाली में देखी गई अनियमितताओं के कारण उसे अधिक्रमित किया जाय। तथापि, यह दिल्ली प्रशासन की ओर से सिफारिश नहीं थी। इसलिए उपराज्यपाल द्वारा कार्यकारी परिषद् से परामर्श करने का प्रश्न नहीं उठा।

Change in the Name of Cape Comorin

9008. SHRI YAJNA DATT SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the proposal to change the name of "Cape Comorin" to Kanya Kumari has been considered by the Central Government ; and

(b) if so, with what result and the reasons for the same ?